Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझनू में सहायक उप निरीक्षक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *25 अक्टूबर*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झुंझनू इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये कृष्ण गोपाल यादव, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझनू को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झुंझनू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा एक परिवाद कार्यालय पुलिस अधीक्षक झुंझनू में दिया गया था जिसकी जांच पिलानी थाने के सहायक उप निरीक्षक कृष्ण गोपाल द्वारा की जा रही थी जिसके द्वारा 15 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी झुंझनू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री इस्माईल खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी सहायक उप निरीक्षक द्वारा मामले को परिवादी के पक्ष में करने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **कृष्ण गोपाल यादव, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पिलानी,** जिला झुंझनू निवासी कलगांव, तहसील बुहाना, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझनू को परिवादी से 20 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।